

## कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

पता—किशोरपुरा कोटा—09 (राज0), ईमेल:—ccffdp.kota@gmail.com दरमाप:— 0744—2500194  
 क्रमांक:एफ13( )एकसीए / समुद्रसं / 4397 दिनांक : 17.8.2023  
 निमित्त,

अतिं प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
 प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी  
 एकसीए राजस्थान जयपुर।

**विषय:** Diversion of 407.8227 ha. Construction of Shahpur (1800 MW) Pumped Storage Project by M/s Greenko Energies Private Limited in Hanumanthkhera Mungawali Villages, G.P.Mundiyan, Tehsil-Shahbad, Baran District, Rajasthan. (Online Proposal No. FP/RJ/HYD/121439/2021)

**प्रसंग:** आपका ऑनलाइन ई0डी0एस0 एवं पत्रांक एफ14(TRANS)2021 /एकसीए/प्रमुद्रसं/7035 दिनांक 04.08.2023 के क्रम में

### महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रांसगिक ई0डी0एस0 एवं पत्र दिनांक 04.08.2023 के क्रम में चाही गयी सूचना उप वन संरक्षक वारा ने पत्रांक 8156 दिनांक 08.08.2023 एवं पत्रांक 8367 दिनांक 16.08.2023 से तैयार कर इस कार्यालय में प्रेषित की है जो निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आक्षेप	आक्षेप की पूर्ति																						
1.	उप वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव में छत्र घनत्व (Crop density) 0.39 अंकित किया गया है जबकि प्रस्तावित क्षेत्र में कम्पार्टमेंट अनुसार छत्र घनत्व (Crop density) दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावित क्षेत्र में कार्य आयोजन अनुसार कम्पार्टमेंट वार छत्र घनत्व (Crop density) निम्नासार है। <table border="1"> <thead> <tr> <th>नाम वनखण्ड</th><th>कम्पार्टमेंट नं.</th><th>वनस्पति घनत्व</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">मुण्डियर ए</td><td>11</td><td>0.4-&gt;</td></tr> <tr><td>12</td><td>0.1-0.4</td></tr> <tr><td>13</td><td>0.1-0.4</td></tr> <tr> <td rowspan="4">सन्टोरा</td><td>6</td><td>0.4-&gt;</td></tr> <tr><td>1</td><td>0.1-0.4</td></tr> <tr><td>2</td><td>0.1-0.4</td></tr> <tr><td>3</td><td>0.1-0.4</td></tr> <tr> <td rowspan="2">नौनेरा ए</td><td>4</td><td>0.1-0.4</td></tr> </tbody> </table> <p>उपतानुसार एन0पी0वी राशी फलित कर अंकित कर दी गई है।</p>	नाम वनखण्ड	कम्पार्टमेंट नं.	वनस्पति घनत्व	मुण्डियर ए	11	0.4->	12	0.1-0.4	13	0.1-0.4	सन्टोरा	6	0.4->	1	0.1-0.4	2	0.1-0.4	3	0.1-0.4	नौनेरा ए	4	0.1-0.4
नाम वनखण्ड	कम्पार्टमेंट नं.	वनस्पति घनत्व																						
मुण्डियर ए	11	0.4->																						
	12	0.1-0.4																						
	13	0.1-0.4																						
सन्टोरा	6	0.4->																						
	1	0.1-0.4																						
	2	0.1-0.4																						
	3	0.1-0.4																						
नौनेरा ए	4	0.1-0.4																						
	2.	उप वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव में 57 है0 वन क्षेत्र मृदा अपरदन से संवेदनशील है किन्तु उसके कोई दूर करने हेतु उपाय अंकित नहीं किये गये हैं।	मृदा अपरदन से संवेदनशील क्षेत्र के उपचार हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अंडर टेकिंग प्रेषित की गई है।																					
3.	उप वन संरक्षक द्वारा स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में प्रस्तावित वन क्षेत्र की विधिक स्थिति/कंजवेशन रिजर्व की स्थिति एवं अभिशंषा नहीं की गयी है।	रथल निरीक्षण रिपोर्ट में प्रस्तावित वन क्षेत्र की विधिक स्थिति/कंजवेशन रिजर्व की स्थिति एवं अभिशंषा कर दी गयी है एवं पार्ट-2 में संशोधित कर दिया गया है जो संलग्न है।																						
4.	प्रस्ताव में यूजर एजेंसी द्वारा गैर वन भूमि उप वन संरक्षक इगानप रेटेज—। जैसलमेर के अधीन क्षेत्र में दी जा रही हैं। अतः गैर वन भूमि से संबंधित समस्त कार्यवाही यथा क्षतिपूरी वृक्षाशोपण (गैर वन भूमि और अवशेष पौधे वन भूमि) भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जाना सुनिश्चित करें। तदनुसार KML File, DGPS Map, CA Scheme and suitability certificate संशोधित कर संलग्न है।	क्षतिपूर्ति वन रोपण के लिये प्राप्त गैर वन भूमि 438.03 है0 में उप वन संरक्षक जैसलमेर द्वारा गैर वन भूमि में अधिकतम 800 पौधे लगाये जाने तथा अवशेष पौधे (184.82 हेक्टर) DFL में प्रस्तावित किया गया है जिसकी KML File, DGPS Map, CA Scheme and suitability certificate संशोधित कर संलग्न है।																						

**Signature valid**

Digitally signed by Mahesh Chand Gupta  
 Designation : Chief Conservator Of Forest  
 Date: 2023.08.17 16:38:14 IST  
 Reason: Approved



5.	उप वन संरक्षक द्वारा 615 है० में आर०डी०एफ०-१। में नृक्षारोपण किस आधार पर प्रस्तुत किया गया है यह स्पष्ट नहीं है। मुख्य वन संरक्षक, कोटा द्वारा अपनी अभिशंखा में प्रस्तावित प्रत्यावर्तित वनभूमि के समीपस्थ समतुल्य वनभूमि में मिश्रित वन तैयार करने हेतु योजना बनाया जाकर संलग्न की जाए।	उप वन संरक्षक वारा, द्वारा इस कार्यालय की अभिशंखा अनुसार प्रस्तावित प्रत्यावर्तित वनभूमि के समीपस्थ समतुल्य वनभूमि में मिश्रित वन तैयार करने हेतु दो दुकड़ों में साइट विशेष पृथक-पृथक योजना बनाकर मध्य को०एम०एल संलग्न कर दी गई है। <b>Annexure -3</b>
6.	प्रस्तावित क्षेत्र कंजर्वेशन रिजर्व का हिस्सा है उक्त तथ्य को उप वन संरक्षक द्वारा कही भी उल्लेख नहीं किया गया है जबकि मुख्य वन संरक्षक कोटा द्वारा इसे उल्लेखित किया गया है। प्रस्तावित वन क्षेत्र कंजर्वेशन रिजर्व में होने के कारण नियमानुसार मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक की अनुमति आवश्यक है।	प्रस्तावित क्षेत्र शाहवाद कंजर्वेशन रिजर्व का हिस्सा है परियोजना निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेख कर दिया गया है। परन्तु MOEF के परिपत्र 30.01.2023 के अनुसार वन्य जीव मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। (संलग्न परिपत्र) <b>Annexure -4</b>
7.	प्रस्तावित क्षेत्र कंजर्वेशन रिजर्व (Protected Area) का हिस्सा है। अतः नियमानुसार पांच गुना एन०पी०वी० देय होगी।	प्रस्तावित क्षेत्र कंजर्वेशन रिजर्व (Protected Area) का हिस्सा होने से पांच गुना एन०पी०वी० राशि का गणना प्रपत्र संलग्न है। <b>Annexure -5</b>
8.	यूजर एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव को साइट स्पेसिफिक (Site Specific) बताया गया है, जो माना नहीं जा सकता है। प्रस्तावित प्रोजेक्ट में किये गये विभिन्न विकल्पों का परीक्षण एवं विश्लेषण (वनभूमि एवं तकनीकी पैरामीटर) अपलोड किया जाना प्रस्तावित है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि प्रस्तावित प्रोजेक्ट के लिये किये गये विभिन्न विकल्पों एवं विश्लेषण (वनभूमि एवं तकनीकी पैरामीटर) के अनुसार परियोजना प्रस्तावित की गई है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा डिटेल रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जो संलग्न है। <b>Annexure -6</b>
9.	लागत लाभ विश्लेषण (Cost Benefit Analysis) में 1974 करोड़ प्रति वर्ष का राजस्व अंजित करने हेतु 987 करोड़ का लाभ अंकित किया गया है किन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि 1974 करोड़ प्रतिवर्ष का राजस्व 99 वर्ष तक अंजित करने पर लाभ 987 करोड़ का ही होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भाग-01 के विन्दु संख्या G में (Cost Benefit Analysis) संशोधित कर दिया गया है जो संलग्न है। <b>Annexure -7</b>
10.	पर्यावरण स्वीकृत का स्टेटस पार्ट । में अपडेट किया जाना प्रस्तावित है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्पष्ट किया गया है कि पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता है, जो प्रक्रियाधीन है।
11.	पर्यावरण स्वीकृति के क्रम में जारी TOR में शर्त संख्या 8 एवं 13 अनुसार कंजर्वेशन प्लान एवं बायोडाइवरसिटी प्लान चाहा गया है जो ऑनलाइन संलग्न नहीं किया गया है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भाग-1 के Additional Information Detail में संशोधित कंजर्वेशन प्लान एवं बायोडाइवरसिटी प्लान को अपलोड कर दिया गया है जो संलग्न है। <b>Annexure -8</b>
12.	कूनों नदी से उक्त प्रस्ताव हेतु पानी लिया जावेगा इस हेतु जल संसाधन विभाग की अनुमति हार्ड प्रति में संलग्न है किन्तु ऑनलाइन पार्ट-। में अपलोड किया जाना प्रस्तावित है।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जल संसाधन विभाग की अनुमति को भाग-। के Additional Information Detail में EDS दिनांक 25.08.2021 के साथ अपलोड किया गया है।
13.	प्रोजेक्ट में प्रस्तावित रिजर्ववायर कूनों नदी की सहायक नदियों एवं नालों पर बनाया जावेगा जिसका केंचमेंट एरिया भी प्रस्ताव में आयेगा। केंचमेंट एरिया की गणना एवं उसके उपचार का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केंचमेंट एरिया की गणना एवं उसके उपचार के संबंध में कैट प्लान तैयार कर प्रस्तुत किया है, जो संलग्न है। <b>Annexure -9</b>

भवदीय

(महेश चन्द गुप्ता)  
संभागीय मुख्य वन संरक्षक

महेश

दिनांक :

क्रमांक:एफ13( )एफसीए/समुवसं/2023/

प्रतिलिपि उप वन संरक्षक वारा को पत्रांक 8156 दिनांक 06.08.2023 एवं पत्रांक 8387 दिनांक 16.08.2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

Signed valid  
संभागीय मुख्य वन संरक्षक

Digitally signed by Mahesh Chandra Gupta  
Designation : Chief Conservator Of Forest  
Date: 2023.08.17 16:38:14 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4534767

